(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1437–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–5–2015 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद प्रकरण कमांक 277/2012–13/अपील.

.....

बृजेश गंगारे पुत्र तरूण कुमार गंगारे
निवासी मिर्जापुर तहसील चिचोली जिला बैतूल

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–विकास आर्य पुत्र सुरेश चन्द्र आर्य
निवासी विकास नगर हरदा रोड, चिचोली तहसील
चिचोली जिला बैतूल म0प्र0
2–संतोष मालवीय पुत्र श्री सोहनलाल मालवीय
3–बाली मालवीय पुत्र श्री संतोष मालवीय
4–रितेश पुत्र श्री संतोष मालवीय
निवासीगण विवेकानंद वार्ड चिचोली
तहसील चिचोली जिला बैतूल
5–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला बैतूल

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदक
श्री दिलीप श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 5

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–5–13 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है । आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 277/अपील/12–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष सी.पी.सी.(व्यवहार प्रकिया संहिता) के आदेश एक नियम 10(2) सहपठित संहिता की धारा 32 एवं 43 के अन्तर्गत पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आयुक्त द्वारा दिनांक 28–5–15 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । आयुक्त के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के पटटे आवंटन के समय आवेदक को पटटा प्रदान नहीं कर अन्य व्यक्तियों को पटटा प्रदान किया गया है जिससे उसके हित प्रभावित हो रहे हैं, इसलिये वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है क्योंकि वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वामित्व है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 विकास आर्य अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं था और उसके द्वारा आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें आयुक्त द्वारा पक्षकार मान्य किया गया है, परन्तु आवेदक को पक्षकार नहीं बनाने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया अनावेदक कमांक को विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया था अतः उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 3973/2012 प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 19–11–12 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारित किया गया है । इस प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 एवं आवेदक की स्थिति समान है इसलिये आयुक्त को उसे पक्षकार बनाना चाहिये था ।

4/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण में पक्षकार नहीं था, परन्तु उसके द्वारा प्रकरण विलम्बित करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) आवेदक विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकार नहीं था एवं उसके द्वारा पक्षकार बनने संबंधी कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा निगरानी प्रकरण के शीघ्र निराकरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 17157/2015 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7–10–2015 को आदेश पारित कर निगरानी का शीघ्र निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु आवेदक इस निगरानी को जानबूझकर लंबित कर रहा है ।

(4) प्रकरण का निराकरण नहीं होने के कारण अनावेदक कमांक 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमांक 139/2016 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4–2–16 को आदेश पारित कर छह सप्ताह में प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये गये हैं । अतः प्रकरण का शीघ निराकरण किया जाये क्योंकि इस निगरानी में विधि का कोई सारवान प्रश्न नहीं है, इसलिये यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 5 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसे स्थिर रखा जाना चाहिये ।

6/ शेष अनावेदकगण प्रकरण में औपचारिक पक्षकार होने से उन्हें सुने जाने का औचित्य नहीं है ।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी प्रकरण में सुनवाई की जाकर आदेश पारित किया जा रहा है । चूँकि

अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 प्रत्यर्थीगण के रूप में पक्षकार बनाये गये हैं और वे आयुक्त के आदेश से व्यथित भी नहीं है क्योंकि अगर वे आयुक्त के आदेश से व्यथित होते तो निश्चित रूप से उनके द्वारा निगरानी प्रस्तुत की जाती, ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति में यह आदेश पारित किया जा रहा है । आवेदक की ओर से पक्षकार बनाये जाने हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपीलीय स्तर पर पहली बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जबकि यदि वे हितबद्ध पक्षकार थे तब उन्हें विचारण न्यायालय में पक्षकार बनना था । इसके अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा पक्षकार बनने का आधार उसके द्वारा पटटा मॉगा जाना और प्राप्त नहीं होना दर्शाया गया है, परन्तु समर्थन में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके द्वारा पटटा मागा गया है जो प्राप्त नहीं हुआ है । स्पष्ट है कि आवेदक आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है इसलिये उसका आवेदन पत्र निरस्त करने में आयुक्त द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर